न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी
उम्मेदाराम पुत्र पूनमाराम, जाति– रावल, निवासी– हडमतिया, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी
राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, मण्डार, जिला–सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 05/2022

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

—: निर्णय :— **दिनांक 31 मार्च, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा प्रकरण संख्या 81/2021 में पारित निर्णय दिनांक 24.12.2021 बाबत ग्राम हडमतिया, पटवार हल्का रायपुर के खसरा संख्या 214 व 261 किस्म धोरा व नाला कुल किता 2 रकबा 10.10 बीघा भूमि से बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। हल्का पटवारी, रायपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाही प्रस्तुत की गई उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी, रायपुर के बयान कलमबद्ध नही किये है जिससे अपीलार्थी हल्का पटवारी से जिरह के अधिकार से वंचित रहा है। यह कि खसरा संख्या 261 किस्म नाला है जिसके दोनों तरफ अपीलार्थी की खातेदारी भूमि आई हुई है एवं नाले की भूमि वर्तमान में मौके पर खाली पडी है तथा खसरा संख्या 214 की भूमि अपीलार्थी का कब्जा नही होकर उस पर सांकलाराम पुत्र वनाजी, रमेश पुत्र सांकलाराम, नारायण पुत्र सांकला व अन्य ग्रासिया जाति के मजदूर लोगों कच्ची झौपडिया बनाकर वहां रह रहे जिसमें किसी भी प्रकार से अपीलार्थी का कोई हक अधिकार नही है, इसके बावजूद भी हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में गलत रुप से रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह कि खसरा संख्या 214 की भूमि पर जिन मजदूर व्यक्तियों के झौपडे बने हुये है वो सभी लोगों गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोग है इसलिये यदि अपीलार्थी के विरुद्ध पारित अपीलाधीन आदेश को आधार मानकर इन मजदूरों को वहां से हटाया जाता है तो वे लोग बेघर हो जायेंगे। हल्का पटवारी, रायपुर ने जानबूझ कर उक्त मजदूर लोगों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तुत नही कर राजनैतिक दबाव में अपीलार्थी के [illegible] की है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश/निर्णय दिनांक 24.12.2021 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार [illegible] यह व्यक्त किया कि

.......पेज दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:20:05 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

हल्का पटवारी, रायपुर द्वारा संवत 2078 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम हडमतिया, पटवार हल्का रायपुर के खसरा संख्या 214 रकबा 8.10 बीघा किस्म धोरा व खसरा संख्या 261 रकबा 2.00 बीघा किस्म नाला कुल किता 2 रकबा 10.10 बीघा भूमि पर कब्जा व खेड कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी उपस्थित हुआ, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब व साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, रायपुर द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2078 में ग्राम हडमतिया के खसरा संख्या 214 किस्म धोरा रकबा 8.10 बीघा व खसरा संख्या 261 किस्म नाला रकबा 2.00 बीघा कुल किता 2 रकबा 10.10 बीघा भूमि पर कब्जा व खेड कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी उपस्थित हुआ, लेकिन अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में बचाव में जवाब व साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड में ग्राम हडमतिया, पटवार हल्का रायपुर के खसरा संख्या 214 किस्म धोरा रकबा 8.00 बीघा व खसरा संख्या 261 किस्म नाला रकबा 2.00 बीघा, कुल किता 2 रकबा 10.10 बीघा राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज है एवं अपीलार्थी द्वारा राजकीय बिलानाम भूमि पर पश्चावर्ती अतिक्रमण कर कब्जा व खेड की है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:20:05 IST
Reason: SelfAttested